

**राजस्व विभाग****मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्रमांक एफ 2-13-2018-सात-शा. 7

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2019

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 129 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (तीस) के साथ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 187-6477-सात-एन-(नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी, 1960 में प्रकाशित की गई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018, जिन्हें उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, बनाती है :-

**अंतिम नियम****1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं. -**

- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
  - (क) 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);
  - (ख) 'प्ररूप' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
  - (ग) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
  - (घ) 'धारा' से अभिप्रेत है संहिता की धारा;
  - (ङ) 'दल नायक' से अभिप्रेत है, नियम 8 के अधीन गठित दल का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति।
- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो कि इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, तथा संहिता में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किए गए हैं।

**3. सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए आवेदन प्ररूप एक में किया जाएगा।**

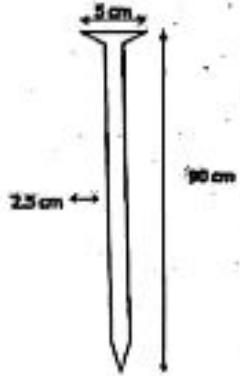
4. (1) आवेदक क्रमशः सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए ऐसी फीस का भुगतान करेगा जो कि कलक्टर द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख के अनुमोदन से समय-समय पर, विनिश्चित की जाए।
- (2) नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन भिन्न भिन्न जिलों में सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों को संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित प्रभारों के आधार पर भिन्न भिन्न जिलों के लिए भिन्न भिन्न फीस नियत की जा सकेगी।
- (3) यदि आवेदक अपने स्वयं के श्रम एवं व्यय पर सीमा चिन्ह निर्मित करना चाहता है तो वह केवल सीमांकन के लिए यथा नियत फीस का भुगतान करेगा।
- (4) जब तक उपनियम (1) के अधीन कलक्टर द्वारा फीस नियत नहीं की जाती तब तक आवेदक, ऐसी फीस का भुगतान करेगा जैसी कि इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व नियत की गई थी।
5. धारा 129 की उपधारा (2) के अधीन सीमांकन रिपोर्ट तहसीलदार को प्ररूप दो में प्रस्तुत की जाएगी।
6. धारा 129 की उपधारा (7) के अधीन सीमांकन रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्ररूप तीन में प्रस्तुत की जाएगी।
7. (1) कलक्टर, आयुक्त, भू-अभिलेख के नियंत्रणाधीन धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक या एक से अधिक एजेंसी को जिले के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
- (2) तहसीलदार, कलक्टर द्वारा, समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत एजेंसियों में से किसी एक एजेंसी को धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक की सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।
- (3) उपखण्ड अधिकारी, कलक्टर द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत एजेंसियों में से किसी एजेंसी को धारा 129 की उपधारा (6) के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिये नियोजित कर सकेगा।
8. (1) धारा 129 की उपधारा (6) के अधीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दल निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा—

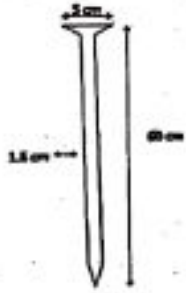
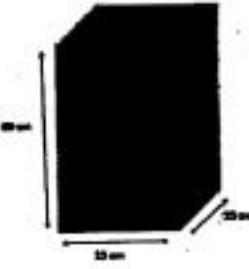
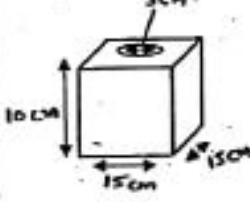
- (क) अधीक्षक, भू-अभिलेख या सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख या राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक-दल नायक के रूप में; और
- (ख) अन्य राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक-दल के सदस्य के रूप में।
- (2) उपखण्ड अधिकारी, यदि वह उचित समझे उपनियम (1) के अधीन गठित दल में भूमि सीमांकन में विशेषज्ञता रखने वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों को रख सकेगा।
9. धारा 129 की उपधारा (9) के अधीन संनिर्मित सीमा चिन्हों का माप (डायमेंशन) तथा विनिर्देश (स्पेशिफिकेशन) अनुसूची-एक के अनुसार होंगे:
- परन्तु नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन एजेंसियां अधिकृत होने तक, सीमा चिन्हों का माप (डायमेंशन) तथा विनिर्देश (स्पेशिफिकेशन) वही होंगे जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व विनिर्दिष्ट थे।
10. आयुक्त, भू-अभिलेख, समय समय पर, धारा 129 की उपधारा (9) के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए तकनीकी अनुदेश जारी कर सकेगा।
11. यदि कोई व्यक्ति, विधिपूर्वक संनिर्मित किए गए किसी सीमा चिन्हों या सर्वेक्षण चिन्हों को जानबूझकर विनष्ट करता है या क्षति पहुंचाता है या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटाता है तो वह संहिता की धारा 130 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा।

**अनुसूची-एक**  
**सीमा चिन्हों के विनिर्देश (स्पेसिफिकेशन)**  
**(नियम 9 देखिए)**

1. सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक, या भू-खण्ड संख्यांक की पहचान को सुगम बनाने के लिए नीचे सारणी में दिये गये विनिर्देश (स्पेसिफिकेशन) की प्रापटी पिन सीमा चिन्हों के रूप में लगाई जा सकेंगी।
2. भूमि की सीमा दर्शाने के लिए कम से कम 4 प्रापटी पिन लगाई जाएंगी जिनमें से 2 पिन टाईप-1 की होंगी।
3. जहां टाईप-1 या टाईप-2 की पिनों का उपयोग संभव नहीं है वहां टाईप-3 की पिनों का उपयोग किया जा सकेगा।
4. भूमि की सीमा के घुमावों तथा मोड़ों पर उतनी संख्या में प्रापटी पिन लगाई जाएंगी जितनी कि सीमा को दर्शाने के लिए आवश्यक समझी जाएं।
5. सीमा चिन्हों की दृश्यता को बढ़ाने के लिए आवेदक के अनुरोध पर प्रापटी पिन कैप का उपयोग किया जा सकेगा।
6. प्रापटी पिनों और प्रापटी पिन कैपों को क्रय करने तथा लगाने के खर्चे आवेदक द्वारा वहन किए जाएंगे। आवेदक पिनों तथा कैपों को उपार्जित करने तथा लगाने के क्रम में, कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट एजेंसी का या किसी अन्य स्रोत का चयन कर सकेगा।
7. आयुक्त, भू-अभिलेख, समय-समय पर, प्रापटी पिनों के उपयोग के संबंध में निर्देश जारी कर सकेगा।

**सारणी**  
(नियम 9 देखिए)  
सीमांकन में सीमा चिन्हों के उपयोग के विनिर्देश (स्पेशिफिकेशन)

| सरल<br>क्रमांक | सीमा चिन्ह<br>का प्रकार | विनिर्देश (स्पेशिफिकेशन)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | आरेख                                                                                                            |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)            | (2)                     | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4)                                                                                                             |
| 1.             | प्रापटी पिन<br>टाइप-1   | <p>(1) गैलवनाइज्ड स्टील कोटिंग के साथ माइल्ड स्टील बार</p> <p>(2) माप (डायमेंशन)-</p> <p>(क) व्यास- 2.5 सेंटीमीटर</p> <p>(ख) लम्बाई- 90 सेंटीमीटर</p> <p>(ग) ऊपरी सिरा चपटा तथा 5 सेंटीमीटर व्यास का शंकवाकार हो।</p> <p>(घ) पिन का निचला हिस्सा नुकीला किया हो</p> <p>(3) सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक जैसी स्थिति हो, की सीमा पर पिन भूतल पर उर्ध्वरूप से ठोकी जाएगी, जिसका 10 सेंटीमीटर सिरा भूतल के ऊपर रहेगा।</p> <p>(4) जहां बागड़ या दीवार बनाई जाना है, भूतल से ऊपर प्रापटी पिन की ऊंचाई बढ़ाई जा सकेगी और पिन बागड़ या दीवार का भाग होगी।</p> <p>(5) आवेदक, पिन को भूतल पर लगाने के लिए सीमेंट, कॉन्क्रीट या अन्य उपयुक्त सामग्री का उपयोग अपने खर्च पर कर सकेगा।</p> | <p>PROPERTY PIN TYPE 1</p>  |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | प्रापटी पिन<br>टाइप-2 | <p>(1) गैल्वनाइज्ड स्टील कोटिंग के साथ माइल्ड स्टील बार</p> <p>(2) माप (डायमेंशन)-</p> <p>(क) व्यास- 1.6 सेंटीमीटर</p> <p>(ख) लम्बाई-60 सेंटीमीटर</p> <p>(ग) ऊपरी सिरा चपटा तथा 5 सेंटीमीटर व्यास का शंक्वाकार हो।</p> <p>(घ) पिन का निचला हिस्सा नुकीला किया हो</p> <p>(3) सर्वे संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक जैसी स्थिति हो, की सीमा पर पिन भूतल पर उर्ध्वरूप से ठोकी जाएगी, जिसका 10 से.मी. सिरा भूतल के ऊपर रहेगा।</p> <p>(4) जहां बागड़ या दीवार बनाई जाना है, भूतल से ऊपर प्रापटी की ऊंचाई बढ़ाई जा सकेगी और पिन बागड़ या दीवार का भाग होगी।</p> <p>(5) आवेदक पिन को भूतल पर लगाने के लिए सीमेंट, कोंन्क्रीट या अन्य उपयुक्त सामग्री का उपयोग अपने खर्च पर कर सकेगा।</p> | <p>PROPERTI PIN TYPE 2</p>  |
| 3. | प्रापटी पिन<br>टाइप-3 | <p>(1) 60 सेंटीमीटर X 15 सेंटीमीटर X 15 से.मी. माप का रीइनफोर्सड सीमेंट कोंन्क्रीट (आर.सी.सी) स्तंभ या पत्थर का स्तंभ।</p> <p>(2) स्तंभ का जमीन के भीतर प्लेन सीमेंट के साथ गाड़ा जाएगा।</p> <p>(3) स्तंभ का 10 सेंटीमीटर ऊपरी सिरा भूतल के ऊपर रहेगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>PROPERTI PILE</p>      |
| 4. | प्रापटी पिन<br>कैप    | <p>(1) 15 सेंटीमीटर X 15 सेंटीमीटर X 10 सेंटीमीटर प्लेन सीमेंट कांन्क्रीट या पत्थर के ब्लॉक जिसके बीच में 3 सेंटीमीटर व्यास का बेलनाकार छेद होगा।</p> <p>(2) जहां प्रापटी पिन को लगाया जाना है, उस स्थान पर पिन को कैप के बीच के छिद्र में से भूतल पर ठोका जाएगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |

## प्रारूप-एक

## (नियम 3 देखिए)

सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए आवेदन

प्रति,

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....म.प्र.

मैं/हम.....एतद्वारा, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार भूमि का सीमांकन के लिए निवेदन करता हूँ/करते हैं

और/या

मैं/हम.....एतद्वारा, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार भूमि की सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए निवेदन करता हूँ/करते हैं :

## 1. आवेदक का विवरण

| अनुक्रमांक | नाम तथा पता | पिता/माता/पति/संरक्षक का नाम | मोबाइल/फोन नम्बर | अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य | पहचान दस्तावेज का विवरण तथा संख्यांक | अभ्युक्ति |
|------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| (1)        | (2)         | (3)                          | (4)              | (5)                                | (6)                                  | (7)       |
| 1.         |             |                              |                  |                                    |                                      |           |
| 2.         |             |                              |                  |                                    |                                      |           |
|            |             |                              |                  |                                    |                                      |           |

## 2. सीमांकित की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला.....तहसील.....राजस्व निरीक्षक वृत्त.....

पटवारी हल्का /सेक्टर क्रमांक..... ग्राम / नगरीय क्षेत्र.....

| अनुक्रमांक | सर्वेक्षण संख्यांक/<br>ब्लॉक संख्यांक/<br>भू-खण्ड संख्यांक | क्षेत्रफल (हेक्टर/<br>वर्गमीटर में) | धारकों का नाम |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| (1)        | (2)                                                        | (3)                                 | (4)           |
| 1.         |                                                            |                                     |               |
| 2.         |                                                            |                                     |               |
|            |                                                            |                                     |               |

## 3. लगी हुई भूमि के धारकों का विवरण

| अनुक्रमांक | सर्वेक्षण संख्यांक/<br>ब्लॉक संख्यांक/<br>भू-खण्ड संख्यांक | धारक<br>का<br>नाम | पिता/माता/पति/<br>संरक्षक का नाम | पूर्ण<br>पता | मोबाइल/फोन<br>नम्बर (यदि<br>ज्ञात हो) |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| (1)        | (2)                                                        | (3)               | (4)                              | (5)          | (6)                                   |
| 1.         |                                                            |                   |                                  |              |                                       |
| 2.         |                                                            |                   |                                  |              |                                       |
|            |                                                            |                   |                                  |              |                                       |

## \* 4. जमा की गई फीस के ब्यौरे

(रूपयों में)

| सरल क्रमांक | जमा की गई फीस के विवरण           | राशि | जमा की गई फीस की रसीद<br>के ब्यौरे |
|-------------|----------------------------------|------|------------------------------------|
| (1)         | (2)                              | (3)  | (4)                                |
| 1.          | सीमांकन के लिए                   |      |                                    |
| 2.          | सीमा चिन्हों के संनिर्माण के लिए |      |                                    |
|             | योग अंकों में शब्दों में         |      |                                    |

\* यदि आवेदक सीमा चिन्हों का संनिर्माण स्वयं के खर्चे एवं श्रम से करना चाहता है तो उस केवल सीमांकन के लिए नियत फीस का भुगतान करना होगा ।

**घोषणा**

मैं / हम ..... पुत्र / पुत्री / पति ..... पता (पूर्ण पता मोबाइल नम्बर सहित)  
..... एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/हैं कि मेरे / हमारे द्वारा दी गई  
जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात  
छिपाई नहीं गई है। मैं / हम यह भी समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई  
जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।

दिनांक .....

स्थान .....

हस्ताक्षर

नाम .....

आवेदक/आवेदकगण

**आवश्यक संलग्नक :**

1. खसरे की प्रति
2. सीमांकित किए जाने वाले सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक के नक्शे की प्रति जिसमें लगे हुए सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक सम्मिलित है
3. फीस की रसीद की प्रति

**प्ररूप-दो**  
**(नियम 5 देखिए)**  
**राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक की सीमांकन रिपोर्ट**

राजस्व प्रकरण क्रमांक.....

समक्ष में न्यायालय तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार .....  
तहसील.....जिला.....मध्यप्रदेश

सीमांकन रिपोर्ट दिनांक.....

आपके आदेश दिनांक .....के अनुपालन में आवेदक .....द्वारा  
धारित पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....ग्राम/नगरीय क्षेत्र .....में  
स्थित सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक.....के सीमांकन  
की रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. सीमांकन किये जाने का दिनांक.....
2. सीमांकन शुरू होने का समय .....सीमांकन समाप्त होने का समय.....
3. हितयुक्त पक्षकारों को दिए गए सीमांकन के नोटिस का विवरण

| अनुक्रमांक | नाम | नोटिस की तामिली का प्रकार तथा दिनांक |
|------------|-----|--------------------------------------|
| (1)        | (2) | (3)                                  |
| 1.         |     |                                      |
| 2.         |     |                                      |
|            |     |                                      |

4. पक्षकारों का विवरण जिन्हें नोटिस तामिल नहीं हो सका

| अनुक्रमांक | नाम | नोटिस की तामिल न होने के कारण |
|------------|-----|-------------------------------|
| (1)        | (2) | (3)                           |
| 1.         |     |                               |
| 2.         |     |                               |
|            |     |                               |

## 5. सीमांकन के दौरान उपस्थित अधिकारियों तथा पक्षकारों के नाम

| अनुक्रमांक | नाम | पदनाम/पक्षकार |
|------------|-----|---------------|
| (1)        | (2) | (3)           |
| 1.         |     |               |
| 2.         |     |               |
| 3.         |     |               |

## 6. सीमांकन के बाद संनिर्मित किये गये सीमा चिन्हों के टाईप तथा उनकी संख्या.....

## 7. भूमि या उसके भाग पर आवेदक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे का विवरण (रिपोर्ट के साथ नक्शे में लाल स्याही से चिह्नित किया जाए)

| अनुक्रमांक | नाम | क्षेत्रफल(हेक्टर में/<br>वर्गमीटर में) | ब्योरे |
|------------|-----|----------------------------------------|--------|
| (1)        | (2) | (3)                                    | (4)    |
| 1.         |     |                                        |        |
| 2.         |     |                                        |        |

## 8. सीमांकन के दौरान उठाई गई आपत्तियों के विवरण तथा उन पर विनिश्चय

| अनुक्रमांक | आपत्तिकर्ता का नाम | संक्षिप्त में आपत्तियां | आपत्तियों पर विनिश्चय |
|------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| (1)        | (2)                | (3)                     | (4)                   |
| 1.         |                    |                         |                       |
| 2.         |                    |                         |                       |

9. 'पंचनामा' में हस्ताक्षर करने से इंकार करने वाले व्यक्तियों के विवरण

| अनुक्रमांक | नाम | इंकार करने का कारण |
|------------|-----|--------------------|
| (1)        | (2) | (3)                |
| 1.         |     |                    |
| 2.         |     |                    |

10. यदि सीमांकन नहीं किया जा सका हो, तो कारण अभिलिखित किये जाएं.....

11. राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक की टिप्पणियां .....

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक

संलग्नक—

1. हितबद्ध पक्षकारों पर तामील किए गए नोटिस की प्रतियां
2. बिना तामील हुए नोटिस मूल में (यदि कोई हो)
3. पंचनामा
4. क्षेत्र पुस्तिका (फील्ड-बुक)
5. नक्शा
6. अन्य.....

**प्ररूप-तीन  
(नियम 8 देखिए)  
सीमांकन दल की रिपोर्ट**

राजस्व प्रकरण क्रमांक.....

समक्ष में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड .....तहसील.....  
जिला.....मध्यप्रदेश

सीमांकन रिपोर्ट दिनांक.....

आपके आदेश दिनांक .....के अनुपालन में आवेदक .....द्वारा  
धारित पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक..... ग्राम/नगरीय क्षेत्र .....में  
स्थित सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक के सीमांकन की रिपोर्ट  
निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. सीमांकन किये जाने का दिनांक.....
2. सीमांकन शुरू होने का समय .....सीमांकन समाप्त होने का समय.....
3. हितबद्ध पक्षकारों को दिए गए सीमांकन के नोटिस का विवरण

| अनुक्रमांक | नाम | नोटिस की तामिली का प्रकार तथा दिनांक |
|------------|-----|--------------------------------------|
| (1)        | (2) | (3)                                  |
| 1.         |     |                                      |
| 2.         |     |                                      |
|            |     |                                      |

4. पक्षकारों के विवरण जिन्हें नोटिस तामिल नहीं हो सका

| अनुक्रमांक | नाम | नोटिस की तामिल न होने के कारण |
|------------|-----|-------------------------------|
| (1)        | (2) | (3)                           |
| 1.         |     |                               |
| 2.         |     |                               |
|            |     |                               |

## 5. सीमांकन के दौरान उपस्थित अधिकारियों तथा पक्षकारों के नाम

| अनुक्रमांक | नाम | पदनाम/पक्षकार |
|------------|-----|---------------|
| (1)        | (2) | (3)           |
| 1.         |     |               |
| 2.         |     |               |
|            |     |               |

## 6. सीमांकन के बाद संनिर्मित किये गए हैं सीमा चिन्हों के टाईप तथा उनकी संख्या.....

## 7. भूमि या उसके भाग पर आवेदक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे का विवरण (रिपोर्ट के साथ नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया जाए)

| अनुक्रमांक | नाम | क्षेत्रफल(हेक्टर में/वर्गमीटर में) | ब्यौरे |
|------------|-----|------------------------------------|--------|
| (1)        | (2) | (3)                                | (4)    |
| 1.         |     |                                    |        |
| 2.         |     |                                    |        |

## 8. सीमांकन के दौरान उठाई गई आपत्तियों के विवरण तथा उन पर विनिश्चय

| अनुक्रमांक | आपत्तिकर्ता का नाम | संक्षिप्त में आपत्तियां | आपत्तियों पर विनिश्चय |
|------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| (1)        | (2)                | (3)                     | (4)                   |
| 1.         |                    |                         |                       |
| 2.         |                    |                         |                       |
| 3.         |                    |                         |                       |

9. 'पंचनामा' में हस्ताक्षर करने से इन्कार करने वाले व्यक्तियों के विवरण

| अनुक्रमांक | नाम | इन्कार करने का कारण |
|------------|-----|---------------------|
| (1)        | (2) | (3)                 |
| 1.         |     |                     |
| 2.         |     |                     |

10. यदि सीमांकन नहीं किया जा सका हो, तो कारण अभिलिखित किये जाएं.....

11. राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक द्वारा पूर्व में किए गए सीमांकन दिनांक.....  
से भिन्नता .....

12. दल नायक की टीप .....

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

दल नायक तथा दल के सभी अन्य सदस्य

संलग्न :

1. हितबद्ध पक्षकारों पर तामील किए गए नोटिस की प्रतियां
2. बिना तामील हुए नोटिस मूल में (यदि कोई हों)
3. पंचनामा
4. क्षेत्र पुस्तिका (फील्ड-बुक)
5. नक्शा
6. अन्य.....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्रमांक एफ 2-13-2018-सात-शा. 7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2-13-2018-सात-शा. 7, दिनांक 28 जनवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.